राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या .... 13, 14, 15/2014............................... जिला..........जयपुर

उनवान – मैसर्स ग्रुप जीरो, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–द्वितीय जोन प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ कैम्प जयपुर **श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य**	
12/02/2014	वकील प्रार्थी श्री पंकज घीया एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री वैभव कासलीवाल उपस्थित। सभी विविध प्रर्थना पत्रों में एक ही प्रार्थी होने व समान निवेदन होने के कारण एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जाता है। प्रति सभी पत्रावलियों पर रखी जावें। उभयपक्ष की विविध प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि पूर्व में माननीय खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 30.10.2013 के द्वारा अपील संख्या 1883 व 1884/2013/जयपुर में पारित निर्णयों में अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार कर उपायुक्त(अपील्स) जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा"** को यह निर्देशित किया गया है कि अपीलों का निस्तारण अपील स्तर पर 3 (तीन) माह में करें परन्तु उक्त अपीलों का निर्णय अपील स्तर पर समयावधि में नहीं होने के कारण खण्डपीठ से यह निवेदन किया गया था कि अपीलीय अधिकारी को अपीलों के निस्तारण हेतु दो माह का समय ओर दिया जावे। अतः अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 1883 व 1884/2013/जयपुर में प्रस्तुत क्रमशः **विविध प्रार्थना पत्र संख्या 2 व 3/2014/जयपुर** में माननीय खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 27.1.2014 को निर्णय पारित करते हुए अपीलीय अधिकारी को दो माह का और समय दिया गया था। इसके अतिरिक्त माननीय खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 18.12.2013 के द्वारा अपील संख्या 1885/2013/जयपुर में भी अपीलीय अधिकारी को यह निर्देशित किया गया था कि अपील का निर्णय अपील स्तर पर 3 (तीन) माह में करें परन्तु उक्त अपील का निर्णय भी अपील स्तर पर नहीं हुआ है। अब पुनः अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 1883, 1884/2013/जयपुर व 1885/2013/जयपुर जिससे कि ये **विविध प्रार्थना पत्र क्रमशः 13,14 व 15/2014/जयपुर** में अपीलार्थी द्वारा तीन माह और बढाये जाने तथा स्थगन भी अपीलीय अधिकारी के निर्णय तक जारी रखने का निवेदन किया। विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने इस पर कोई एतराज नहीं किया। **लगातार.......................2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या ....13, 14, 15/2014...............................जिला..........जयपुर

उनवान – मैसर्स ग्रुप जीरो, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–द्वितीय जोन प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/2014	 उपभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि माननीय खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 30.10.2013 के द्वारा अपील संख्या 1883 व 1884/2013/जयपुर में निर्णय पारित किये गये हैं, जिसमें अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार कर वसूली योग्य राशि पर वसूली से 3 माह के लिए रोक लगाते हुए। अपीलीय अधिकारी को यह निर्देशित किया गया था कि अपीलों का निर्णय अपील स्तर पर गुणावगुण के आधार पर 3 (तीन) माह में करें परन्तु उक्त अपीलों का निर्णय निर्देशित अवधि में अपील स्तर पर नहीं हुआ था। अतः अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 1883 व 1884/2013/जयपुर के प्रस्तुत क्रमशः **विविध प्रार्थना पत्र संख्या 2 व 3/2014/जयपुर** में पूर्व में माननीय खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 27.1.2014 को निर्णय पारित करते हुए अपीलीय अधिकारी को दो माह का और समय दिया गया था। इनके अलावा माननीय खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 18.12.2013 के द्वारा अपील संख्या 1885/2013/जयपुर में भी अपीलीय अधिकारी को यह निर्देशित किया गया था कि अपील का निर्णय अपील स्तर पर 3 (तीन) माह में करें परन्तु उक्त अपील का निर्णय अपील स्तर पर नहीं हुआ है। चूँकि अब पुनः अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 1883, 1884 व 1885/2013/जयपुर में ये **विविध प्रार्थना पत्र क्रमशः 13, 14 व 15/2014/जयपुर** में अपीलार्थी द्वारा तीन माह और बढाये जाने तथा स्थगन को भी बढाये जाने का निवेदन किया है जिसे स्वीकार करते हुए, यह खण्डपीठ अपीलीय अधिकारी को यह निर्देशित करती है कि अपील स्तर पर लम्बित उपरोक्त अपीलों से संबंधित अपीलों का निर्णय आदेश प्राप्ति के अग्रिम 3 (तीन) माह के भीतर किया जावे। तब तक स्थगन प्रभावी रहेगा। फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तीनों विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है। निर्णय सुनाया गया। 12-2-14 (अमर सिंह) सदस्य (जे.आर.लोहिया) सदस्य	